मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

परिपत्र संख्या- 59 /2016 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 20 ,2016

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

रिट याचिका संख्या-9503/2016 निशा खातून बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि विवेचनाधिकारियों द्वारा विवेचना समाप्ति के उपरॉत याची को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तथा उसके विरूद्ध पूरक आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जबकि पूर्व में प्रेषित मुख्य आरोप पत्र में वह न तो वॉछित अभियुक्ता है और न ही फरार अभियुक्ता के कालम में उसका नाम अंकित है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को स्वीकार करते हुए याची को 15000/- वाद व्यय का भुगतान दोषी अधिकारी द्वारा किये जाने का आदेश पारित किया गया है ।

2- उल्लेखनीय है कि विवेचनाधिकारियों व पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस रेगुलेशन में उपबन्धित विवेचना सम्बन्धी प्राविधानों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 स्पष्ट रूप से उपबन्धित करती है कि अपराध पंजीकरण से लेकर विवेचना की समाप्ति तक का संक्षिप्त विवरण आरोप पत्र में अंकित किया जायेगा । इसी प्रकार पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 की व्यवस्था के अनुसार आरोप पत्र हेतु फार्म संख्या- 339 निर्धारित है जिसके प्रत्येक कालम सुस्पष्ट हैं । विवेचना समाप्ति पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करते समय विवेचनाधिकारी को आरोप पत्र के समस्त कालम में स्पष्ट एवं पूर्ण प्रविष्टि करनी चाहिए जिससे अभियोजन अधिकारी एवं मा0 न्यायालय स्पष्ट रूप से समझ सके कि किस अभियुक्त द्वारा कौनसा अपराध कारित किया गया है तथा उसके विरूद्ध पत्रावली पर क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं । किसी विशिष्ट अपराध के भिन्न-भिन्न अभियुक्तों द्वारा पृथक-पृथक रूप से उस अपराध में क्या-क्या भूमिकाएँ निभाई गयी है, आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए । यदि किसी आरोप पत्र के किसी कालम में कोई प्रविष्टि न की जानी हो तो उसमें स्पष्ट रूप से निल अथवा शून्य अंकित किया जाना चाहिए ।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों को अवगत करा दें कि वे विवेचना में अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष होकर सही ढंग से करें, विवेचना से सम्बन्धित विधिक प्राविधानों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं आरोप पत्र में समस्त प्रविष्टियॉं स्पष्ट रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित करें । यदि भविष्य में इस प्रकार का दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ ही जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ेगा ।

संलग्नक-यथोपरि ।

20/10

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।